क्रम-संख्या—535

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1—खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 25 अक्तूबर, 1980
कार्तिक 3, 1902 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका अनुभाग—1

संख्या 2921/सत्रह-वि0-1—80-80
लखनऊ, 25 अक्तूबर, 1980

अधिसूचना
विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेन्शन) विधेयक, 1980 पर दिनांक 25 अक्तूबर, 1980 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980)
(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के वेतन और भत्तों के भुगतान, और अन्य सुविधाओं से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

अध्याय एक
प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 कहा जायगा।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे।

परिभाषाएं

2—इस अधिनियम में —

(क) "सभा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान सभा से है;

(ख) "सभापति" का तात्पर्य परिषद् के सभापति से है;

(ग) "परिषद्" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से है;

(घ) "उप सभापति" का तात्पर्य परिषद् के उप सभापति से है;

(ङ) "उपाध्यक्ष" का तात्पर्य सभा के उपाध्यक्ष से है;

(च) किसी सदस्य के संबंध में, "सदस्यता की अवधि" का तात्पर्य—

(एक) यथास्थिति, उसके निर्वाचन या नाम निर्देशन की अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से, या भारत के संविधान के अनुच्छेद 188 के अनुसार शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने के दिनांक से, इनमें जो भी पहले हो, प्रारम्भ होने वाली, और

(दो) उस दिनांक को, जब वह मृत्यु या पद-त्याग के कारण या अन्यथा ऐसा सदस्य न रह जाय, समाप्त होने वाली अवधि से है ;

(छ) "आनुषंगिक व्यय" का तात्पर्य—

(एक) रेल द्वारा की गयी यात्रा की दशा में एक व्यक्ति के लिए प्रथम श्रेणी में ऐसी यात्रा के रेल किराये के बराबर धनराशि से है;

(दो) किसी अन्य दशा में विहित दर से, इस रूप में, देय धनराशि से है;

(ज) "नेता विरोधी दल" का तात्पर्य सभा या परिषद् के उस सदस्य से है जिसे, यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति द्वारा तत्समय इस रूप में अभिज्ञात किया गया हो;

(झ) "सदस्य" का तात्पर्य सभा या परिषद् के उस सदस्य से है जो मंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उप सभापति या संसदीय सचिव के पद पर आसीन न हो;

(ञ) "मंत्री" के अन्तर्गत मुख्य मंत्री, राज्य मंत्री, और उप मंत्री भी हैं;

(ट) किसी सदस्य के संबंध में, "निवास स्थान" का तात्पर्य उस स्थान से है जिसका किसी सभा निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावलि की प्रविष्टि के अनुसार सदस्य सामान्यतः निवासी है, और यदि सदस्य ऐसे स्थान में परिवर्तन कर दे तो उत्तर प्रदेश में उस स्थान से है जिसे सदस्य के अनुरोध पर सचिव द्वारा ऐसा स्थान अधिसूचित किया जाय :

परन्तु कोई ऐसी अधिसूचना, यथास्थिति, निर्वाचन के पश्चात् या इस खंड के अधीन जारी की गई पूर्व अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात् छः मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व जारी नहीं की जायगी;

(ठ) "रेल कूपन" का तात्पर्य इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए रेलवे बोर्ड के प्राधिकार से जारी किये गये निःशुल्क असंक्रमणीय रेल यात्रा कूपन से है;

(ड) "सचिव" का तात्पर्य सभा के सदस्यों के संबंध में, सभा के सचिव से है, और परिषद् के सदस्यों के संबंध में, परिषद् के सचिव से है;

(ढ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष से है;

(ण) "वर्ष" का तात्पर्य पहली जून को प्रारम्भ होने वाली और अनुवर्ती इकतीस मई को समाप्त होने वाली बारह मास की अवधि से है।

अध्याय दो

वेतन और निर्वाचन क्षेत्र भत्ता

वेतन

3—(1) सभा के नेता विरोधी दल से भिन्न, प्रत्येक सदस्य अपनी सदस्यता की अवधि के लिये पांच सौ रुपये प्रतिमास का वेतन पाने का हकदार होगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट वेतन का भुगतान निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, अर्थात्—

(क) वेतन में अनुपस्थिति या अन्य कारण के आधार पर ऐसी कटौतियां की जा सकेंगी जैसी विहित की जायं;

(ख) किसी सदस्य को उस अवधि के लिए जिसमें वह किसी न्यायालय या अधिकरण के किसी विनिश्चय के फलस्वरूप, यथास्थिति, सभा या परिषद् में बैठने के लिए अक्षम हो जायं, कोई वेतन देय नहीं होगा;

(ग) सभा के किसी सदस्य को सभा के गठन के दिनांक की पूर्ववर्ती अवधि के लिए कोई वेतन देय न होगा ;

(घ) परिषद् के किसी सदस्य को उस रिक्ति के, जिस रिक्ति के फलस्वरूप वह सदस्य निर्वाचित या नाम निर्देशित हुआ है, दिनांक की पूर्ववर्ती अवधि के लिये कोई वेतन देय न होगा ।

निर्वाचन-क्षेत्र भत्ता

4--सभा या परिषद् का प्रत्येक सदस्य, चाहे वह धारा 2 के खण्ड (झ) में निर्दिष्ट किसी पद पर आसीन हो या न हो, अपनी सदस्यता की अवधि में पांच सौ रुपये प्रति मास का निर्वाचन-क्षेत्र भत्ता पाने का हकदार होगा ।

अध्याय तीन

यात्रा सुविधा

उत्तर प्रदेश के भीतर रेल द्वारा यात्रा

5--प्रत्येक सदस्य को, विहित रीति से, ऐसे मूल्य के रेल कूपन दिये जायेंगे जिससे वह उत्तर प्रदेश के भीतर किसी भी समय और किसी रेल द्वारा प्रथम श्रेणी में यात्रा करने का हकदार हो सके ।

उत्तर प्रदेश के बाहर रेल द्वारा यात्रा

6--प्रत्येक सदस्य को विहित रीति से ऐसे मूल्य के रेल कूपन भी दिये जायेंगे जिससे वह उत्तर प्रदेश के बाहर किसी भी समय और किसी रेल द्वारा प्रथम श्रेणी में--

(क) ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों और कृत्यों के निर्वहन के लिये अपेक्षित अपनी उपस्थिति के लिये किसी बैठक के स्थान तक जाने और अपने निवास स्थान को वापस आने के लिये प्रत्येक वर्ष 4,000 किलोमीटर की अधिकतम सीमा तक यात्रा करने का हकदार हो सके, और

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिये प्रत्येक वर्ष 15,000 किलोमीटर की अधिकतम सीमा तक यात्रा करने का हकदार हो सके ।

प्रथम स्पष्टीकरण : खण्ड (ख) के अधीन यात्रा की दूरी की संगणना करने के प्रयोजनों के लिये, उत्तर प्रदेश के भीतर किन्हीं दो रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी सम्मिलित नहीं की जायगी ।

द्वितीय स्पष्टीकरण : खण्ड (क) तथा खण्ड (ख) में निर्दिष्ट यात्रा के लिये, रेल कूपन का मूल्य राज्य सरकार द्वारा रेलवे बोर्ड के परामर्श से निर्धारित किया जायगा ।

सहवर्ती के साथ यात्रा

7--किसी सदस्य द्वारा अपने साथ रेल यात्रा में प्रथम श्रेणी में निम्नलिखित दशाओं में सहवर्ती ले जाने के लिये भी धारा 5 में निर्दिष्ट रेल कूपन का प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात्--

(क) यथास्थिति, सभा या परिषद् के प्रत्येक सत्र में, अधिक से अधिक दो बार, अपने निवास स्थान के निकटतम रेलवे स्टेशन से लखनऊ तक आने और लखनऊ से ऐसे रेलवे स्टेशन तक वापस जाने के लिए ;

(ख) किसी महिला सदस्य की स्थिति में, ऐसी यात्रा के लिए जो उसके द्वारा ऐसा सदस्य होने के नाते अपने कर्त्तव्यों और कृत्यों के संबंध में अपेक्षित उपस्थिति के लिए और ऐसी उपस्थिति के पश्चात् अपने निवास स्थान को वापस जाने के लिए की जाय ।

परिवार के सदस्यों के साथ यात्रा

8--धारा 6 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट रेल कूपनों का प्रयोग, ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जैसे विहित किये जायं, किसी सदस्य द्वारा अपने साथ अपने परिवार के सदस्यों को उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर प्रथम श्रेणी में रेल यात्रा में ले जाने के लिए किया जा सकता है, किन्तु इस प्रकार यात्रा का कुल व्यय (जिसके अन्तर्गत ऐसे सदस्य द्वारा उत्तर प्रदेश के बाहर की गयी यात्रा का व्यय भी है) उक्त धारा के अनुसार अवधारित अधिकतम सीमा से अधिक न होगा ।

मंत्री, अध्यक्ष आदि द्वारा यात्रा

9--प्रत्येक सदस्य को, जो धारा 2 के खंड (झ) में उल्लिखित किसी पद पर आसीन हो,--

(क) धारा 5 में निर्दिष्ट रेल कूपन दिये जायेंगे, जिनका प्रयोग वह सार्वजनिक कार्य से भिन्न प्रयोजनों के लिए उत्तर प्रदेश के भीतर प्रथम श्रेणी में यात्रा के लिए, विहित रीति से करने का हकदार होगा ;

(ख) धारा 6 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट रेल कूपन दिये जायेंगे, जिनका प्रयोग वह सार्वजनिक कार्य से भिन्न प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर प्रथम श्रेणी में की गयी यात्राओं में अपने साथ अपने परिवार के सदस्यों को ले जाने के लिए, विहित रीति से करने का हकदार होगा, किन्तु इस प्रकार कि ऐसी यात्राओं का कुल व्यय (जिसके अन्तर्गत ऐसे सदस्य द्वारा और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा उत्तर प्रदेश के बाहर की गयी यात्राओं का व्यय भी है) उक्त धारा के खण्ड (ख) के अनुसार अवधारित अधिकतम सीमा से अधिक न होगा।

रेल कूपनों की विधिमान्यता

10—इस अध्याय के अधीन जारी किया गया रेल कूपन ऐसी अवधि के लिए विधिमान्य होगा, और प्रत्येक अप्रयुक्त कूपन सचिव को, ऐसी रीति से लौटा दिया जायगा जो विहित की जाय।

द्वितीय श्रेणी में रेल द्वारा यात्रा

11—जहां कोई सदस्य रेल द्वारा द्वितीय श्रेणी में यात्रा करता है और ऐसा सदस्य धारा 5 और 6 में निर्दिष्ट कोई रेल कूपन स्वीकार नहीं करता है, वहां वह ऐसे कूपनों के बदले में निम्नलिखित धनराशि विहित रीति से मांगने का हकदार होगा, अर्थात्—

(क) उत्तर प्रदेश के भीतर की गयी यात्रा की स्थिति में, द्वितीय श्रेणी में ऐसी यात्रा में वास्तव में व्यय किये गये रेल भाड़े के बराबर धनराशि;

(ख) उत्तर प्रदेश के बाहर की गयी यात्रा की स्थिति में, उतनी धनराशि जितनी उसने प्रतिवर्ष 15,000 किलोमीटर की अधिकतम सीमा तक किसी भी समय और किसी भी रेल द्वारा द्वितीय श्रेणी में की गयी यात्रा में रेल भाड़े पर वास्तविक रूप से खर्च की हो;

(ग) किसी सहवर्ती द्वारा की गयी यात्रा की स्थिति में, द्वितीय श्रेणी में ऐसी यात्रा में वास्तव में व्यय किये गये रेल भाड़े के बराबर धनराशि, बशर्ते सहवर्ती द्वारा ऐसी यात्रा धारा 7 में उल्लिखित परिस्थितियों में की गयी हो;

(घ) खण्ड (क) या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी यात्रा की स्थिति में, यथास्थिति, एक सीट या शयन यान (स्लीपर) में एक बर्थ के लिये आरक्षण प्रभार के रूप में व्यय की गयी धनराशि।

वातानुकूलित कम्पार्टमेन्ट में यात्रा

12—इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, धारा 5 से 10 में निर्दिष्ट रेल कूपनों का प्रयोग, यथास्थिति उत्तर प्रदेश के भीतर, या बाहर, निम्नलिखित कम्पार्टमेन्ट में रेल-यात्रा के लिये भी किया जा सकता है, अर्थात्—

(क) वातानुकूलित (चेयर कार) कम्पार्टमेन्ट;

(ख) वातानुकूलित (टू-टीयर स्लीपर) कम्पार्टमेन्ट।

बस द्वारा यात्रा

13—(1) प्रत्येक सदस्य को, विहित रीति से, निःशुल्क असंक्रमणीय पास दिया जायगा जिससे वह उत्तर प्रदेश के भीतर किसी भी समय उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बस द्वारा, उच्चतम श्रेणी में, यदि कोई हो, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन देय यात्री कर का भुगतान किये बिना यात्रा करने का हकदार होगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट पास का प्रयोग सदस्य द्वारा बस में अपने साथ एक सहवर्ती को ले जाने के लिये भी किया जा सकता है।

(3) इस धारा के अधीन किसी सदस्य को जारी किया गया प्रत्येक पास उसकी सदस्यता की अवधि के लिये विधिमान्य होगा और ऐसी सदस्यता की अवधि के समाप्त होने पर उसे सचिव को लौटा दिया जायगा।

अध्याय चार

आनुषंगिक व्यय और दैनिक भत्ता

आनुषंगिक व्यय

14—प्रत्येक सदस्य को, ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों या कृत्यों के संबंध में अपनी उपस्थिति के लिये ऐसी दरों पर और ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जैसी विहित की जाय, निम्नलिखित दशाओं में आनुषंगिक व्यय देय होगा, अर्थात्—

(क) यथास्थिति, सभा या परिषद् के प्रत्येक सत्र में या उसकी किसी समिति के किसी उपवेशन में उपस्थित होने के लिए किसी कलेण्डर मास में अधिक से अधिक दो बार, केवल उपवेशन के स्थान पर आने के लिए और अपने निवास-स्थान को वापस जाने के लिए की गयी यात्रा के लिये :

परन्तु यदि कोई सदस्य एक ही कलेण्डर मास में दो या अधिक समितियों के उपवेशन में भाग लेता है तो इस खण्ड के अधीन आनुषंगिक व्यय किसी भी दशा में ऐसे मास में चार से अधिक बार देय नहीं होगा;

(ख) यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति द्वारा बुलाई गई किसी बैठक में उपस्थित होने के लिए, बैठक के स्थान पर आने के लिये और अपने निवास-स्थान को वापस जाने के लिए की गई यात्रा के लिए;

(ग) समिति के ऐसे कार्य के संबंध में, जो समिति की बैठक से भिन्न हो, किसी समिति के सभापति के रूप में, उसके द्वारा किसी कलेण्डर मास में अधिक से अधिक दो बार लखनऊ आने के लिये और अपने निवास स्थान को वापस जाने के लिए की गई यात्राओं के लिये;

(घ) लोक सभा के अध्यक्ष या राज्य सभा के सभापति या किसी अन्य राज्य के विधान मण्डल के अध्यक्ष या सभापति द्वारा या उनके प्राधिकार से या भारतीय संसदीय अध्ययन संस्थान द्वारा, संवैधानिक अध्ययन या सेमिनार के संबंध में बुलाई गई किसी बैठक में उपस्थित होने के लिए की गई यात्राओं के लिये :

परन्तु ऐसा सदस्य धारा 2 के खण्ड (ढ) में यथा परिभाषित अध्यक्ष या उक्त धारा के खण्ड (ख) में यथा परिभाषित सभापति द्वारा ऐसी बैठक में उपस्थित होने के लिये नाम निर्दिष्ट किया गया हो :

परन्तु यह और कि किसी ऐसी बैठक में भाग लेने के लिये दो से अधिक सदस्य नाम निर्दिष्ट नहीं किये जायेंगे और कोई ऐसा नाम निर्देशन एक वर्ष में दो बार से अधिक के लिये नहीं किया जायगा ।

दैनिक भत्ता

15--प्रत्येक सदस्य तीस रुपये प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता का हकदार होगा जिसकी संगणना निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार की जायगी, अर्थात्--

(एक) उक्त भत्ता, यथास्थिति, सभा या परिषद् के सत्र के दौरान, या उसकी किसी समिति के किन्हीं उपवेशनों में, प्रत्येक दिन की उपस्थिति के लिये देय होगा ;

(दो) उक्त भत्ता, यथास्थिति, सभा या परिषद् के लगातार उपवेशन के एक दिन पूर्व और एक दिन पश्चात् के लिए भी देय होगा यदि सदस्य, उन दिनों में ऐसे लगातार उपवेशन के स्थान पर उपस्थित हो;

(तीन) उक्त भत्ता, यथास्थिति, सभा या परिषद् के या उसकी समिति के किसी लगातार उपवेशन के दौरान स्थगन के दिनों के लिये, और ऐसे लगातार उपवेशनों के बीच में पड़ने वाली छुट्टी के दिनों के लिए भी देय होगा, यदि सदस्य ऐसे सभी दिनों में उपवेशन के स्थान पर उपस्थित हो;

(चार) उक्त भत्ता चार से अनधिक ऐसे दिनों के लिए भी देय होगा जो सभा या परिषद् के या उसकी समिति के किसी उपवेशन के अन्तिम दिन और उसी या किसी अन्य समिति के या सभा या परिषद् के उपवेशन के प्रथम दिन के बीच पड़े, यदि सदस्य ऐसे सभी दिनों में उपवेशन के स्थान पर उपस्थित हो;

(पांच) जहां खण्ड (तीन) या खण्ड (चार) के अधीन आने वाली किसी स्थिति में कोई सदस्य उपवेशन के स्थान से अपने निवास-स्थान या अपने निर्वाचन क्षेत्र को चला जाय, वहां वह, धारा 14 में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के उपबन्धों के अनुसार दैनिक भत्ता का, या धारा 14 के अनुसार आनुषंगिक व्यय का, इनमें जो भी कम हो, हकदार होगा;

(छः) सभा के नेता विरोधीदल को ऐसा कोई भत्ता देय नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण : इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी उपवेशन को लगातार समझा जायगा यदि किसी बैठक के अन्तिम दिन और दूसरी बैठक के प्रथम दिन के बीच दिनों की संख्या चार से अधिक न हो ।

अध्याय पांच

सदस्यों के लिये आवास व्यवस्था

लखनऊ में आवास व्यवस्था

16--(1) प्रत्येक सदस्य (जिसके अन्तर्गत संसदीय सचिव भी है) अपनी सदस्यता की अवधि और ऐसी अग्रतर अवधि जैसी विहित की जाय, के लिए लखनऊ में ऐसे आवास का, किराये का भुगतान किये बिना, उपयोग करने का हकदार होगा जिसकी उसके लिए व्यवस्था की जाय ।

(2) जहां किसी सदस्य को उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी आवास की व्यवस्था न की गयी हो, वहां वह विहित दर से आवास भत्ता पाने का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण—किसी सदस्य को आवास की व्यवस्था उस दिनांक को की गई समझी जायगी जब उसके पक्ष में उसे प्रदिष्ट करने की सूचना उसे दे दी जाय चाहे ऐसा सदस्य प्रदेशन को स्वीकार करे या न करे या आवास पर अध्यासन करे या न करे।

आवास-व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम

17—(1) धारा 16 के अधीन आवास के प्रदेशन के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार नियम बना सकती है जिसमें निम्नलिखित बातों की व्यवस्था की जायगी, अर्थात्—

(क) आवास का, जिसके लिए कोई सदस्य हकदार होगा, मानक निर्धारित करना;

(ख) ऐसा मानक नियत करना जिसके अनुसार प्रत्येक ऐसा आवास सुसज्जित किया जायगा;

(ग) प्रत्येक ऐसे आवास का मानक किराया नियत करना;

(घ) ऐसी धनराशि निश्चित करना जो किसी ऐसे सदस्य जिसे मानक आवास से भिन्न आवास की व्यवस्था की जाय, को देय होगी या, यथास्थिति, उससे वसूली योग्य होगी;

(ङ) राज्य सरकार द्वारा समस्त व्यय का जिसके अन्तर्गत विद्युत् और जल का व्यय भी है, भुगतान किये जाने के लिये और ऐसे आवास में जल और विद्युत् के सम्भरण को विनियमित करने के लिए उपबन्ध बनाना।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नियम उन सदस्यों के सम्बन्ध में भी बनाये जा सकते हैं जो धारा 2 के खण्ड (झ) में निर्दिष्ट किसी पद पर आसीन हों।

अध्याय छः

टेलीफोन की सुविधा

सदस्यों को टेलीफोन

18—प्रत्येक सदस्य लखनऊ में और अपने सामान्य निवास पर या अपने निर्वाचन क्षेत्र में टेलीफोन संबंधी ऐसी सुविधाओं का हकदार होगा, जैसी विहित की जायं।

अध्याय सात

नेता विरोधी दल को सुविधायें

वेतन

19—(1) सभा का नेता विरोधी दल एक हजार रुपये प्रतिमास की दर से वेतन पाने का हकदार होगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट वेतन, आयकर से संबंधित किसी विधि के अधीन उसके संबंध में (परिलब्धियों सहित) देय कर के अतिरिक्त होगा, और ऐसा कर राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायगा।

(3) धारा 3 की उपधारा (2) के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, इस धारा के अधीन सभा के नेता विरोधी दल के वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में लागू होंगे।

आवास

20—नेता विरोधी दल अपनी पदावधि और ऐसी अग्रतर अवधि जैसी विहित की जाय, के लिए लखनऊ में निवास-स्थान का, किसी किराये का भुगतान किये बिना, उपयोग करने का हकदार होगा, जिसे विहित स्तर पर सुसज्जित और अनुरक्षित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण इस धारा के प्रयोजनार्थ, किसी निवास-स्थान के संबंध में "अनुरक्षण" के अन्तर्गत स्थानीय कर और करों का भुगतान न करना और जल की व्यवस्था करना और एक सौ रुपये प्रतिमास की अधिकतम सीमा तक (विद्युत शुल्क सहित) विद्युत् की व्यवस्था करना भी है।

यात्रा सुविधा

21—नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश के भीतर, किसी भी समय और किसी भी रेल द्वारा प्रथम श्रेणी के आरक्षित कूपे (दो बर्थ वाला कम्पार्टमेंट) में या वातानुकूलित श्रेणी में एकल आरक्षित बर्थ में यात्रा करने और उक्त प्रयोजन के लिये धारा 5 और 6 में निर्दिष्ट रेल कूपनों का प्रयोग करने का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश में किसी रेलवे स्टेशन और दिल्ली में किसी रेलवे स्टेशन के बीच की यात्रा को उत्तर प्रदेश के भीतर यात्रा समझा जायगा।

कर्मचारीगण

22—नेता विरोधी दल के अधीन ऐसे कर्मचारी रखे जायेंगे, जैसा विहित किया जाय:

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को स्वीकृत कर्मचारियों में तब तक कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा, जब तक कि धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन नियम न बना दिये जायं।

अध्याय आठ

भूतपूर्व सदस्यों को पेंशन

कतिपय पदों का अर्थ

23—इस अध्याय के प्रयोजनार्थ—

(क) पद "सभा" या "परिषद्" के अन्तर्गत क्रमशः यूनाइटेड प्राविंसेज लेजिस्लेटिव असेम्बली या यूनाइटेड प्राविन्सेज लेजिस्लेटिव कौंसिल भी है जिसने 1 जनवरी, 1946 और भारत का संविधान के प्रारम्भ के दिनांक के बीच, और तत्पश्चात् राज्य के लिये अस्थायी विधान मण्डल के सदन के रूप में कार्य किया ;

(ख) पद "वर्ष" का तात्पर्य बारह कलेण्डर मास की किसी अवधि से है;

(ग) जिस अवधि में कोई व्यक्ति सभा या परिषद् में अपनी सदस्यता के आधार पर धारा 2 के खण्ड (झ) में उल्लिखित किसी पद पर आसीन रहा हो, उस अवधि की भी गणना ऐसी सदस्यता की अवधि अवधारित करने के लिये की जायगी ।

भूतपूर्व सदस्यों का पेंशन

24—प्रत्येक व्यक्ति जिसने सभा या परिषद् के सदस्य के रूप में या अंशतः सभा के सदस्य के रूप में और अंशतः परिषद् के सदस्य के रूप में पांच वर्ष की अवधि (चाहे निरन्तर हो या नहीं) के लिये कार्य किया हो, अपने जीवन पर्यन्त तीन सौ रुपया प्रति मास की दर से पेंशन पाने का हकदार होगा ;

परन्तु जहां किसी व्यक्ति ने उपर्युक्तानुसार पांच वर्ष से अधिक अवधि के लिए कार्य किया हो, वहां वह पांच वर्ष से अधिक प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिये पचास रुपया प्रतिमास की दर से अतिरिक्त पेंशन पाने का हकदार होगा, किन्तु इस प्रकार कि इस धारा के अधीन देय पेन्शन की अधिकतम धनराशि, किसी भी दशा में, पांच सौ रुपये प्रतिमास से अधिक न होगी ।

स्पष्टीकरण : जहां किसी व्यक्ति ने सभा या परिषद् के सदस्य के रूप में ऐसी अवधि तक कार्य किया हो, जो पांच वर्ष से, अधिकतम एक मास कम हो, वहां इस धारा के प्रयोजनार्थ यह समझा जायगा कि उस व्यक्ति ने पांच वर्ष के लिए सदस्य के रूप में कार्य किया है ।

पेंशन कब देय नहीं होगी

25—धारा 24 में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति निम्नलिखित स्थिति में इस अध्याय के अधीन कोई पेंशन पाने का हकदार न होगा, अर्थात्:—

(क) जहां कोई व्यक्ति संसद् सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 के उपबन्धों के अधीन प्रतिमास पांच सौ रुपए या इससे अधिक धनराशि की कोई पेंशन पाने का हकदार हो;

(ख) जहां कोई व्यक्ति केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन सवेतन नियोजित हो या ऐसी सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन किसी निगम से या किसी स्थानीय प्राधिकारी से कोई पारिश्रमिक पाने का अन्यथा हकदार हो जाय, और ऐसा वेतन या पारिश्रमिक प्रतिमास पांच सौ रुपए के बराबर या इससे अधिक हो और वह इस प्रकार नियोजित या ऐसा पारिश्रमिक पाने का हकदार बना रहे;

(ग) जहां कोई व्यक्ति कोई पेंशन, जो खण्ड (क) में निर्दिष्ट पेंशन या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में उसे दी गई पेंशन न हो, केन्द्रीय सरकार से या किसी राज्य सरकार या ऐसी सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन किसी निगम से या विधि के अधीन या अन्यथा किसी स्थानीय प्राधिकारी से पाने का हकदार हो, और ऐसी पेंशन की धनराशि प्रतिमास पांच सौ रुपए के बराबर या उससे अधिक हो;

(घ) जहां कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित किया जाय या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के पद पर नियुक्त किया जाय और ऐसे पद पर आसीन रहे;

(ङ) जहां कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् के या संसद् के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में निर्वाचित या नाम-निर्दिष्ट किया जाय और ऐसा सदस्य बना रहे ।

कतिपय मामलों में पेंशन की धनराशि

26—जहां धारा 25 के खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में उल्लिखित परिस्थितियों में, कोई व्यक्ति पांच सौ रुपये प्रतिमास से कम धनराशि की कोई पेंशन, वेतन या पारिश्रमिक का हकदार हो, वहां धारा 24 के अधीन ऐसे व्यक्ति को देय पेंशन उतनी धनराशि से अधिक नहीं होगी जितनी से ऐसी पेंशन, वेतन या पारिश्रमिक पांच सौ रुपये प्रतिमास से कम पड़ती हो।

अध्याय नौ

प्रकीर्ण

वेतन आदि का त्याग

27—कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन किसी वेतन, भत्ता या अन्य सुविधाओं का हकदार है, ऐसे सम्पूर्ण वेतन, भत्ता या सुविधा या उसके किसी भाग को, यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति को लिखित सूचना देकर त्याग सकता है :

परन्तु ऐसे किसी त्यजन को वह किसी भी समय, यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति को लिखित सूचना देकर भविष्यलक्षी प्रभाव से रद्द कर सकता है।

सदस्यों के वेतन-बिल से सरकारी और अन्य देयों की वसूली

28—(1) जब कभी किसी सदस्य पर किन्हीं सरकारी देयों (जैसे आवास किराया या प्रभार, टेलीफोन देय) के बकाया होने की सूचना दी जाय और उसके समर्थन में सम्बद्ध प्राधिकारी से समुचित मांग या बिल प्राप्त हों, और ऐसा सदस्य ऐसे देयों का भुगतान न करे, तब सचिव द्वारा ऐसे सदस्य के वेतन या यात्रा और दैनिक भत्ता बिलों से ऐसे देयों के बराबर धनराशि काट ली जायगी।

(2) साधारणतया किसी सदस्य पर बकाया किन्हीं गैर सरकारी देयों की वसूली उसके वेतन या भत्तों से नहीं की जायगी किन्तु जहां ऐसी देय धनराशि उसके संसदीय कर्त्तव्यों के दौरान उसको दी गई किन्हीं सेवाओं के कारण हो, जैसे जब वह किसी समिति के साथ दौरे पर हो, और ऐसी सेवाओं के लिए व्यवस्था राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों के अनुरोध पर अर्द्ध-सरकारी संस्थाओं या निजी पार्टियों द्वारा या उनके अनुरोध पर की गई हो, और ऐसा सदस्य ऐसे देयों का भुगतान नहीं करता है, वहां उसकी वसूली ऐसे सदस्य के वेतन या यात्रा या दैनिक भत्ता बिलों से की जा सकती है।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

29—(1) राज्य सरकार किसी कठिनाई, विशेष रूप से धारा 31 द्वारा निरसित अधिनियमिति के उपबन्धों से इस अधिनियम के उपबन्धों में संक्रमण से संबंधित कठिनाइयों, को दूर करने के प्रयोजनार्थ सरकारी गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी अवधि में, जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए चाहे वे उपान्तर, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे :

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं दिया जायगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायगी कि उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट कोई कठिनाई विद्यमान नहीं थी या उसे दूर करना अपेक्षित नहीं था।

नियम बनाने की शक्ति

30—(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) धारा 31 द्वारा निरसित अधिनियमिति के अधीन बनाये गये और इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को प्रवृत्त सभी नियम, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समझे जायेंगे, और वे तब तक विधिमान्य और प्रभावी बने रहेंगे जब तक कि उन्हें निरसित न कर दिया जाय।

निरसन

31—उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन का) अधिनियम, 1952 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र देव शर्मा,

No. 2921 (2)/XVII-V-1—80-80

Dated Lucknow, October 25, 1980

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vidhan Mandal (Sadasyon Ki Upalabdhiyan Aur Pension) Adhiniyam, 1980 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 23 of 1980) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on October 25, 1980 :

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (MEMBERS' EMOLUMENTS AND PENISON) ACT, 1980

[U. P. ACT No. 23 OF 1980]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to consolidate and amend the law relating to payment of salaries, allowances, and other facilities to the members of the State Legislature

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-First Year of the Republic of India as follows :

CHAPTER I

Preliminary

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf.

Definition.

2. In this Act,—

(*a*) 'Assembly' means the Uttar Pradesh Legislative Assembly ;

(*b*) 'Chairman' means the Chairman of the Council ;

(*c*) 'Council' means the Uttar Pradesh Legislative Council ;

(*d*) 'Deputy Chairman' means the Deputy Chairman of the Council ;

(*e*) 'Deputy Speaker' means the Deputy Speaker of the Assembly ;

(*f*) 'duration of membership', in relation to a member means the period—

(i) beginning with the date of publication, in the official *Gazette*, of the notification of his election or nomination, as the case may be, or the date he makes or subscribes the oath or affirmation in accordance with Article 188 of the Constitution of India, whichever is earlier ; and

(ii) ending with the date when he ceases to be such a member due to death, resignation or otherwise ;

(*g*) 'incidental charge' means—

(i) in the case of a journey performed by rail, an amount equal to the railway fare for such journey in first class for one person ;

(ii) in any other case, the amount payable as such at the rate to be prescribed ;

(*h*) 'Leader of Opposition' means the member of the Assembly or the Council who is, for the time being, recognised as such by the Speaker or the Chairman, as the case may be ;

(*i*) 'member' means a member of the Assembly or the Council, who does not hold the office of a Minister, Speaker, Deputy Speaker, Chairman, Deputy Chairman or Parliamentary Secretary ;

(*j*) 'Minister' includes the Chief Minister, a Minister for State or a Deputy Minister ;

(*k*) 'place of residence' in relation to a member means the place of which the member is, according to the entry in the electoral roll of an Assembly Constituency, ordinarily resident, and in case the member changes such place, the place within Uttar Pradesh notified as such on request of the member by the Secretary

Provided that no such notification shall be issued before the expiry of the period of six months after the election or after the issue of the earlier notification issued under this clause, as the case may be ;

(*l*) 'railway coupons' means free non-transferable rail travel money valu coupons issued under the authority of the Railway Board for the purposes of this Act ;

(*m*) 'Secretary', in relation to members of the Assembly, means the Secretary of the Assembly, and in relation to the members of the Council, means the Secretary of the Council;

(*n*) 'Speaker' means the Speaker of the Uttar Pradesh Legislative Assembly ;

(*o*) 'year' means the period of twelve months commencing on the first day of June, and ending on the thirty-first day of May next following.

CHAPTER II

Salary and Constituency Allowance

Salary.

3. (1) Every member, other than the Leader of Opposition of the Assembly, shall be entitled to receive, for the duration of his membership, a salary of five hundred rupees per month.

(2) The payment of salary referred to in sub-section (1) shall be subject to the following conditions, namely:—

(*a*) the salary shall be liable to such deductions on the ground of absence or other cause as may be prescribed ;

(*b*) no salary shall be payable to a member for the period during which he is unable to sit in the Assembly or Council, as the case may be, as a result of any decision of any court or tribunal ;

(*c*) no salary shall be payable to a member of the Assembly for the period preceding the date of constitution of the Assembly;

(*d*) no salary shall be payable to a member of the Council for the period preceding the date of vacancy as a result of which such member is elected or nominated.

Constituency allowance.

4. Every member of the Assembly or Council, whether or not he holds any of the offices referred to in clause (i) of section 2, shall be entitled to receive, for the duration of his membership a constituency allowance of five hundred rupees per month.

CHAPTER III

Travel facilities

Journey by rail within Uttar Pradesh.

5. Every member shall be provided, in the manner prescribed, with railway coupons of such value as may entitle him to travel in first class within Uttar Pradesh at any time and by any railway.

Journey by rail outside Uttar Pradesh.

6. Every member shall also be provided, in the manner prescribed, with railway coupons of such value as may entitle him to travel in first class outside Uttar Pradesh at any time and by any railway—

(*a*) for his going to the place of any meeting wherein his attendance is required in connection with his duties and functions as such members and for coming back to the place of his residence upto a maximum lim of 4,000 kilometres per year ; and

(*b*) for purposes other than those specified in clause (*a*), up to a maximum limit of 15,000 kilometers per year.

Explanation I—For the purpose of computing the distance of journeys under clause (*b*), the distance between any two railway stations inside Uttar Pradesh shall be excluded.

Explanation II—The value of railway coupons for journeys referred to in clauses (*a*) and (*b*) shall be determined by the State Government in consultation with the Railway Board.

Journey with companion.

7. The railway coupons referred to in section 5 may also be used by a member for taking along with himself in journeys by rail in first Class one companion in the following cases, namely:—

(*a*) not more than twice during each session of the Assembly or the Council, as the case may be, for coming to Lucknow from the railway station nearest to the place of his residence, and going back from Lucknow to such railway station ;

(*b*) in the case of a woman member, for such journey as is performed by her for her attendance required in connection with her duties and functions as such member, and for returning, after such attendance, to the place of her residence.

Journey with the members of family.

8. The railway coupons referred to in clause (*b*) of section 6 may, subject to such restrictions, as may be prescribed, be used by a member for taking along with himself the members of his family in journeys by rail in First Class within or outside Uttar Pradesh so, however, that the cost of such journeys in aggregate (including the cost of journeys made by such member outside Uttar Pradesh) does not exceed the maximum limit determined in accordance with the said section.

Journey by Minister, Speaker etc.

9. Every member who holds any of the offices mentioned in clause (i) of section 2 shall be provided with railway coupons :—

(*a*) referred to in section 5, which he shall be entitled to use, in the manner prescribed, for travelling in First Class within Uttar Pradesh for purposes other than public business ;

(*b*) referred to in clause (*b*) of section 6, which he shall be entitled to use, in the manner prescribed, for taking along with himself the members of his family in connection with journeys performed in First Class, within or outside Uttar Pradesh for purposes other than public business, so however, that the cost of such journeys in aggregate (including the cost of journey made by such member and the members of his family outside Uttar Pradesh does not exceed the maximum limit determined in accordance with clause (*b*) of the said section.

Validity of railway coupons.

10. The railway coupons issued to a member under this Chapter shall be valid for such period and every unused coupon shall be surrendered to the Secretary in such manner as may be prescribed.

Journey by rail in Second Class.

11. Where a member travels by rail in the Second Class and such member does not accept any railway coupon referred to in sections 5 and 6, he shall be entitled to claim, in the manner prescribed, the following amounts in lieu of such coupons, namely:—

(*a*) in the case of a journey performed within Uttar Pradesh, an amount equal to the railway fare actually spent on such journey by Second Class;

(*b*) in the case of a journey performed outside Uttar Pradesh, the amount actually spent on railway fare for journeys performed by him in Second Class at any time and by any railway to a maximum limit of 15,000 kilometres per year ;

(*c*) in the case of a journey performed by a companion, an amount equal to the railway fare actually spent on such journey by Second Class, provided such journey by the companion has been performed in the circumstances mentioned in section 7 ;

(*d*) in the case of a journey referred to in clause (*a*) or clause (*b*), the amount spent as reservation charges for one seat or one berth in sleeper, as the case may be.

Journey in A. C. C.

12. The railway coupons referred to in sections 5 to 10 may, subject to the provisions of this Chapter, be also used for journeys performed within or outside Uttar Pradesh, as the case may be, in :—

(*a*) air-conditioned (chair-car) compartment ; or

(*b*) air-conditioned two tier (Second Class sleeper) compartment.

Journey by Bus.

13. (1) Every member shall be provided, in the manner prescribed, with a free non-transferable pass entitling him to travel, at any time within Uttar Pradesh, by the Uttar Pradesh State Road Transport Corporation Bus, in the highest class, if any, without payment of the passenger tax due under any law for the time being in force.

(2) The pass referred to in sub-section (1) may also be used by a member for taking one companion along with him in the Bus.

(3) Every pass issued to a member under this section shall be valid for the duration of his membership and on the expiration of the term of such membership, it shall be surrendered to the Secretary.

CHAPTER IV

Incidental Charges and Daily Allowance

Incidental charges.

14. Incidental charges shall be payable to every member at such rates and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, for his attendance in connection with his duties or functions as such member in the following cases, namely—

(*a*) for journeys for attendance in each session of the Assembly or the Council, as the case may be, or at any sitting of any Committee thereof, only for coming to the place of sitting and going back to the place of his residence, not more than twice in one Calendar month;

Provided that if a member attends the sitting of two or more Committees in the same calendar month, the incidental charges shall in no case be payable under this clause for more than four times in such month;

(*b*) for journeys for attendance in any meeting called by the Speaker or the Chairman, as the case may be, for coming to the place of the meeting and for going back to the place of his residence;

(*c*) for journeys performed by him as Chairman of any Committee, in connection with the work of such Committee other than a meeting of the Committee for coming to Lucknow and for going back to the place of his residence, not more than twice in one calendar month;

(*d*) for journey for attendance in any meeting called by or under the authority of the Speaker of the Lok Sabha or the Chairman of the Rajya Sabha or the Speaker or Chairman of the Legislature of any other State or by the Indian Institute of Parliamentary studies in connection with any meeting relating to the constitutional studies or seminars:

Provided that such member is nominated to attend such meeting by the Speaker as defined in clause (*n*) of section 2 or the Chairman as defined in clause (*b*) of the said section :

Provided further that not more than two members shall be nominated for attendance in any such meeting and that no such nomination shall be made for more than twice in a year.

Daliy Allowance.

15. Every member shall be entitled to daily allowance at the rate of thirty rupees per day which shall be calculated in accordance with the following principles, namely—

(i) the allowance shall be payable for each day of attendance during the session of the Assembly or the Council, as the case may be, or at any sittings of any Committee thereof;

(ii) the allowance shall also be payable for one day before and one day after a continuous sitting of the Assembly or the Council, as the case may be, provided that the member is present at the place of such continuous sitting on those days;

(iii) the allowance shall also be payable for the days of adjournment in the course of a continuous sitting of the Assembly or Council or of its Committee, as the case may be, and for the holidays falling in between such continuous sitting, provided that the member is present at the place of sitting on all such days;

(iv) the allowance shall also be payable for the number of days not exceeding four which intervene between the last day of a sitting of the Assembly or the Council or of its Committee, and the first day of the sitting of the same or another Committee or of the Assembly or the Council, provided that the member is present at the place of sitting on all such days;

(v) where in a case falling under clause (iii) or clause (iv), a member leaves the place of sitting for his residence or for his constituency, he shall, notwithstanding anything contained in section 14, be entitled to a daily allowance in accordance with the provisions of this section or incidental charges in accordance with section 14, whichever is less;

(vi) no such allowance shall be payable to the Leader of Opposition of the Assembly.

Explanation—For the purposes of this section, a sitting shall be deemed to be continuous if the number of days between the last day of a meeting and the first day of another meeting is not more than four.

CHAPTER V
Accommodation to Members

Accommodation at Lucknow.

16. (1) Every member (including a Parliamentary Secretary) shall be entitled, without payment of rent, to the use of such accommodation at Lucknow as may be provided to him for the duration of his membership and such further period as may be prescribed.

(2) Where a member has not been provided with any accommodation referred to in sub-section (1), he shall be entitled to an accommodation allowance at the prescribed rate.

Explanation—A member shall be deemed to have been provided with an accommodation on the date when intimation about its allotment in his favour is given to him whether or not such member accepts the allotment or occupies the accommodation.

Rules regarding accommodation.

17. (1) For the purposes of allotment of accommodation under section 16, the State Government may make rules which shall provide for the following matters, namely:—

(*a*) laying down the standard of accommodation to which a member shall be entitled ;

(*b*) fixing the scale on which every such accommodation shall be furnished ;

(*c*) fixing standard rent of every such accommodation ;

(*d*) fixing the amount which shall be payable to or, as the case may be, chargeable from a member who is provided with an accommodation other than the standard accommodation ;

(*e*) making provision for payment by the State Government of all charges including charges for electricity and water and for regulating the supply of water and electricity in such accommodation.

(2) The rules referred to in sub-section (1) may be made in respect of those members also who hold any of the offices referred to in clause (i) of section 2.

CHAPTER VI
Telephone Facilities

Telephone.

18. Every member shall be entitled to such facilities regarding telephone at Lucknow and the place of his normal residence or in his constituency as may be prescribed.

CHAPTER VII
Facilities to the Leader of Opposition

Salary.

19. (1) The Leader of Opposition of the Assembly shall be entitled to receive salary at the rate of one thousand rupees per month.

(2) The salary referred to in sub-section (1) shall be exclusive of the tax payable in respect thereof (including perquisites) under any law relating to income tax, and such tax shall be borne by the State Government.

(3) The provisions of sub-section (2) of section 3 shall *mutatis mutandis* apply to the payment of salary to the Leader of Opposition of the Assembly under this section.

Accommodation.

20. The Leader of Opposition shall be entitled, without payment of any rent, to the use throughout the term of his office and such further period as may be prescribed of a residence at Lucknow which shall be furnished and maintained at the prescribed scale.

Explanation—For the purposes of this section, "maintenance" in relation to a residence, includes the payment of local rates and taxes, and the provision of water, and subject to a maximum limit of one hundred rupees per month, the provision of electricity including electricity duty.

Travel facilities.

21. The Leader of Opposition shall be entitled to travel by a Reserved Coupe (two berth compartment) of the first class or one single reserved berth of air-conditioned class within Uttar Pradesh at any time and by any railway and to use the railway coupons referred to in sections 5 and 6 for the said purpose.

Explanation—For the purposes of this section, the journey between any railway station in Uttar Pradesh and any railway station in Delhi shall be deemed to be journey within Uttar Pradesh.

Staff.

22. There shall be placed at the disposal of the Leader of Opposition such steff as may be prescribed :

Provided that the staff sanctioned on the date of commencement of this Act, shall not be altered till the rules are made under sub-section (1) of section 30.

CHAPTER VIII

Pension to Ex-Members

Meaning of certain expressions

23. For the purposes of this Chapter—

(*a*) the expression 'Assembly' or 'Council' shall include the United Provinces Legislative Assembly or the United Provinces Legislative Council respectively which functioned between January 1, 1946 and the date of commencement of the Constitution of India, and thereafter, as a House of the Provisional Legislature for the State;

(*b*) the expression 'year' means any period of twelve calendar months ;

(*c*) the period during which a person has, by virtue of his membership in the Assembly or Council, held any of the offices mentioned in clause (i) of section 2 shall also be taken into account for determining the term of such membership.

Pension to Ex-members.

24. Every person who has served for a period of five years (whether continuous or not), as a member of the Assembly or of the Council, or partly as a member of the Assembly and partly as a member of the Council shall be entitled to a pension at the rate of three hundred rupees per month throughout his life :

Provided that where any person has served as aforesaid for a period exceeding five years, he shall be entitled to an additional pension at the rate of fifty rupees per month for every completed year in excess of five, so however, that the maximum amount of pension payable under this section shall, in no case, exceed five hundred rupees per month.

Explanation—Where a person has served as a member of the Assembly or the Council for a term which falls short of five years by a period not exceeding one month, then such person shall, for the purposes of this section, be deemed to have served as a member for five years.

Pension when not payable.

25. Notwithstanding anything contained in section 24, no person shall be entitled to any pension under this Chapter in the following cases, namely—

(*a*) where a person is entitled to any pension amounting to five hundred rupees per month or more under the provisions of the Salaries, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954;

(*b*) where any person is employed on a salary under the Central Government or any State Government or any Local Authority, or becomes otherwise entitled to any remuneration from any corporation owned or controlled by such Government or from a local authority, and such salary or remuneration is equal to or exceeds five hundred rupees per month and he continues to be so employed or entitled to such remuneration;

(*c*) where any person is entitled to any pension, not being a pension referred to in clause (*a*), or a pension given in his capacity as freedom fighter, from the Central Government or from any State Government or any corporation owned or controlled by such Government or from any local authority under any law or otherwise, and the amount of such pension is equal to or exceeds five hundred rupees per month;

(*d*) where any person is elected to the office of the President or Vice-President or is appointed to the office of Governor of any State or the Administrator of any Union Territory and continues to hold such office;

(*e*) where any person is elected or nominated as a member of the Legislative Assembly or the Legislative Council of any State or of either of the Houses of Parliament and continues to be such a member.

26. Where in the circumstances mentioned in clause (*a*) or clause (*b*) or clause (*c*) of section 25, a person is entitled to a pension, salary or remuneration amounting to less than five hundred rupees per month, then the pension payable to such person under section 24 shall not exceed the amount by which such pension, salary or remuneration falls short of five hundred rupees per month. — Pension to be reduced in certain cases.

CHAPTER IX

Miscellaneous

27. Any person entitled to any salary, allowance or other facilities under this Act may at any time relinquish the whole or any part of such salary, allowances or facilities by intimating in writing to the Speaker or the Chairman, as the case may be: — Relinquishment of salary etc.

Provided that any such relinquishment may be cancelled by him at any time, with prospective effect, by writing to the Speaker or the Chairman, as the case may be.

28. (1) Whenever any Government dues (such as rent or charges for accommodation, telephone dues) are reported to be outstanding against a member and appropriate claims or bills in support thereof are received from the authority concerned, and such member fails to pay such dues, an amount equivalent to such dues shall be deducted by the Secretary from the salary or travelling and daily allowances bills of such member. — Recovery of Government and other dues from members' bills.

(2) Ordinarily any non-Government dues outstanding against a member shall not be recovered from his salaries or allowances but where such dues are on account of certain services rendered to him in the course of his parliamentary duties, such as, when he is on tour with a Committee, and the arrangements for such services have been made by or at the instance of semi-Government institutions or private parties at the request of officers of the State Legislature, and such member fails to pay such dues, recovery thereof may be effected from the salary or travelling or daily allowances bills of such member.

29. (1) The State Government may, for the purpose of removing any difficulty, particularly in relation to the transition from the provisions of the enactments repealed by section 31 to the provisions of this Act, by order published in official *Gazette*, direct that the provisions of this Act shall, during such period as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations whether by way of modification, addition or omission as it may deem to be necessary or expedient: — Power to remove difficulties.

Provided that no such order shall be made after the expiry of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both Houses of the State Legislature.

(3) No order under sub-section (1) shall be called in question in any court on the ground that no difficulty as is referred to in sub-section (1) existed or required to be removed.

30. (1) The State Government may, by notification, make rules to carry out the purposes of this Act. — Rule making power.

(2) All rules made under the enactment repealed by section 31 and in force on the date immediately preceding the date of commencement of this Act shall, in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act, be deemed to have been made under this Act, and they shall continue to be valid and effective until they are repealed by new rules made under sub-section (1).

U. P. Act, 12 of 1952. — 31. The Uttar Pradesh Legislative Chambers (Members' Emoluments and Pension) Act, 1952 is hereby repealed. — Repeal.

By order,

R. C. DEO SHARMA,

Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 180 सा०(विधा०)—25-10-80—(2573)—1980—1000 (मेक०) ।